श्री चूड़धार मन्दिर चौपाल जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.05.2005 से 31.12. 2012 के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(i) श्री चूड़धार मन्दिर चौपाल जिला शिमला के अवधि 01.05.2005 से 31.12.2012 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के पत्र संख्या भासनि–15/97–मन्दिर–3–3278 दिनांक 24.3.2005 के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान चूड़धार मन्दिर चौपाल के निम्न अधिकारी अध्यक्ष मन्दिर न्यास एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहे।

क्र0 सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी/अध्यक्ष का नाम	पद	अवधि
1	श्री जी0आर0 भारती	उप–मण्डलाधिकारी नागरिक चौपाल	01.01.2005 से 22.02.2005
2	श्री यशपाल शर्मा	उप–मण्डलाधिकारी नागरिक चौपाल	22.02.2005 से 21.05.2006
3	श्री संदीप नेगी	उप–मण्डलाधिकारी नागरिक चौपाल	22.05.2006 से 25.09.2007
4	श्री सुनील शर्मा	उप–मण्डलाधिकारी नागरिक चौपाल	03.10.2007 से 22.02.2008
5	श्री गोपाल चन्द	उप–मण्डलाधिकारी नागरिक चौपाल	22.02.2008 से 04.07.2008
6	श्री अश्वनी कुमार शर्मा	उप–मण्डलाधिकारी नागरिक चौपाल	10.07.2008 से 01.08.2009
7	श्री रमेश ठाकुर	उप–मण्डलाधिकारी नागरिक चौपाल	10.08.2009 से 20.11.2010
8	श्री संदीप नेगी	उप–मण्डलाधिकारी नागरिक चौपाल	20.11.2010 से 08.05.2012
9	श्री कृष्ण चन्द	उप–मण्डलाधिकारी नागरिक चौपाल	10.05.2012 से 31.12.2012

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	(₹) लाखों में
1	9	शिरगुल पुस्तक के प्रकाशन/बिक्री से प्राप्त होने वसूली राशि को मन्दिर निधि में जमा न करना	0.78
2	15	दिनांक 31.12.2012 को अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	5.30
3	16	अनियमित रूप से प्रदान की गई ऋण की राशि का दिनांक 31.12. 2012 को वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.70
4	17	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना चूड़धार मन्दिर का निर्माण कार्य करवाने हेतु राशि का इकरारनामा करना	15.00
5	18	भुगतान से सम्बन्धित वाऊचर प्रस्तुत न करना	7.24
6	19	निर्धारित औपचारिकताऐं को पूर्ण किए बिना राशि की सामग्री का क्रय करना	1.72
7	21	विभिन्न व्यक्तियों को अनियमित रूप से किए गए भुगतान के बारे में	0.60
8	22	एस0डी0एम0 कार्यालय में कार्यरत्त नाजर को किए गए के भुगतान का समायोजन न करना	0.60
9	23	विज्ञापनों पर राशि का अनुचित व्यय करना	0.57

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरो ंपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः लम्बित पेरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः—**

चूड़धार मन्दिर चौपाल जिला शिमला के अवधि 01.01.2005 से 31.12.2012 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, सर्व श्री चम्बेल सिंह परमार व मन्जीत भाटिया अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.09.2013 से 07.10.2013 के दौरान चौपाल में किया गया। माह 9/2005, 6/2006, 7/2007, 6/2008, 7/2009, 7/2010, 6/2011 व 8/2012 का चयन आय पक्ष की जाँच के लिए तथा माह 10/2005, 10/2006, 8/2007, 11/2008, 7/2009, 12/2010, 7/2011 व 8/2012 का चयन व्यय पक्ष की जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन चूड़धार मन्दिर चौपाल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः—**

चूड़धार मन्दिर चौपाल के अवधि 01.01.2005 से 31.12.2012 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹**15600/— बनता है। अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 177 दिनांक 07.10.2013 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को शीध्र भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थितिः—**

(क) चूड़धार मन्दिर चौपाल के अवधि 01.01.2005 से 31.12.2012 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर भी दिया गया है।

(ख) रोकड़ वही का निर्माण उचित प्रकार से न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री चूड़धार मन्दिर की रोकड़ बही का उचित प्रकार से निर्माण नहीं किया गया था। अवधि 12.06.2004 से 19.06.2005 तथा 05.09.2012 से 31.12.2012 तक की रोकड़ वही नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही के मासान्त शेषों का बैंक खातों में जमा राशि से मिलान भी नहीं किया गया था। बीच–2 में अन्तरालों पर रोकड़ वही के शेषों के स्थान पर बैंक शेष लेकर रोकड़ वही लिखी गई थी। रोकड़ वही में पाई त्रुटियों का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका लेखा परीक्षा के दौरान मौके पर ही निपटारा करवा दिया गया।

		(₹)
(i)	अवधि 12.06.04 से 31.12.04 तक आय व्यय की प्रविष्टियाँ गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 3 (क) के अनुसार मन्दिर अधिकारियों द्वारा रोकड़ वही में दर्ज करवाने के पश्चात दिनांक 31.12.04 को रोकड़ वही का शेष	1185239
(ii)	अवधि 01.01.05 से 19.06.05 तक आय–व्यय की प्रविष्टियाँ मन्दिर अधिकारियों द्वारा बैंक खातों के आधार पर रोकड़ वही में दर्ज करवाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–	

बैंक का नाम	**दिनांक / माह**	**बैंक में जमा राशि**	
हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, चौपाल	1 / 2005	12011	
यूको बैंक, चोपाल	1 / 2005	1460	
पंजाब नैशनल बैंक, सराह	1 / 2005	786	(+) 14257

बैंक का नाम	**दिनांक / माह**	**बैंक में निकासी**
हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, चौपाल	31.3.05	1000
	1.04.05	3000
	7.04.05	2500
	11.04.05	4000
	29.04.05	2000

	17.05.05	3240	
	18.05.05	10000	(–) 25740
मन्दिर अधिकारियों द्वारा उक्त प्रविष्टियां रोकड़ वही में दर्ज करने के पश्चात दिनांक 19.06.05 को रोकड़ वही का शेष			**1173756**

(iii) अवधि 20.06.05 से 04.09.12 तक रोकड़ वही में पाई गई ब्याज सहित कुल आय व व्यय की राशि

आय राशि	5228127	
ब्याज राशि	438370	
कुल	5666497	
व्यय राशि	4103539	
शेष राशि	1562958	(+) 1562958
दिनांक 04.09.12 को रोकड़ वही का शेष जिसे मन्दिर अधिकारियों द्वारा रोकड़ वही में दर्शाया गया		**2736714**

(iv) अवधि 05.09.12 से 31.12.12 की आय–व्यय की प्रविष्टियाँ मन्दिर अधिकारियों द्वारा वित्तीय स्थिति के आधार पर रोकड़ वही में दर्ज की गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

माह	**प्राप्त राशि**	
11/2012	285578	
12/2012	10418	
12/2012	(ब्याज राशि) 33903	(+) 329899
माह	**व्यय की गई राशि**	
10/2012	12299	
11/2012	83315	
12/2012	17620	(–)113234
उक्त प्रविष्टियाँ रोकड़ वही में दर्ज करने के उपरान्त दिनांक 31.12.2012 को रोकड़ वही का शेष		**2953379**

(v) **दिनांक 31.12.2012 को वित्तीय स्थिति अनुसार शेष** **3003536.75**

अन्तर **50157.75**

(ग) अन्तर का विवरण

उक्त अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से है जिसकी प्रविष्टियां मन्दिर अधिकारियों द्वारा रोकड़ वही में माह 12/2012 में दर्ज की गई

(i) बैंकों द्वारा दिया गया ब्याज जिसे रोकड़ वही में नहीं लिया गया था

बैंक का नाम	**दिनांक**	**राशि**
हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, चौपाल	8.7.05	12016
	4.1.06	20956
	29.9.07	888
	31.3.12	738
	29.9.12	25
	1.7.09	2153
यूको बैंक, चौपाल	5.1.10	1454
	5.1.10	391
	3.7.10	186
	3.1.11	45
	6.7.11	47
	5.1.12	53
	6.7.12	54
	7.1.09	2110
पंजाब नैशनल बैंक सरांह	4.9.08	295
	4.9.08	590
	4.03.09	901
	4.06.07	1805
	6.09.09	916
	5.03.10	542

		7.9.10	117	
		4.3.11	7	
		3.9.11	4	
		4.3.12	1	
		4.3.12	1	
	भारतीय स्टेंट बैंक, चौपाल	31.12.11	12286	
		30.6.12	27343	
	डाकघर चौपाल	20.11.12	383	(+) 83607
(ii)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक में दिनांक 25.11.07 को जमा राशि परन्तु रोकड़ वही में दर्ज नहीं			(+) 4
(iii)	रोकड़ वही पृष्ठ–16 पर कम जमा राशि			(+) 0.50
(iv)	रोकड़ वही पृष्ठ–47 पर कम जमा राशि			(+) 42
(v)	रोकड़ वही पृष्ठ 58 पर कम लिया योग			(+) 7640
(vi)	यूको बैंक में माह 10/2010 को जमा राशि रोकड़ मे ंदर्ज नहीं			(+) 4000
(vii)	भारतीय स्टेट बैंक खाते में सीधी जमा राशि रोकड़ वही में दर्ज नहीं			(+) 440
(viii)	माह 6/2010 में प्राप्त आय रोकड़ वही में दर्ज नहीं			(+) 19500
(ix)	माह 7/2010 में प्राप्त आय रोकड़ वही में दर्ज नहीं			(+) 18625
(x)	माह 9/2010 में प्राप्त आय रोकड़ वही में दर्ज नहीं			(+) 18000
(xi)	रोकड़ वही पृष्ठ 97 पर लिया गया अधिक व्यय			(+) 0.25
(xii)	पंजाब नैशनल बैंक, सरांह द्वारा काटे गए न्यूनतम शेष प्रभार की राशि रोकड़ वही में दर्ज नहीं			

दिनांक	**राशि**
29.09.12	180
5.10.10	100
1.01.11	100
02.04.11	100
04.07.11	100
06.10.11	75

	07.01.12	46	
	05.03.12	1	(–) 702
(xiii)	रोकड़ वही पृष्ठ–25 पर अधिक ली गई ब्याज राशि		(–) 231
(xiv)	रोकड़ वही पृष्ठ–21 पर अधिक ली गई राशि		(–) 1
(xv)	रोकड़ वही पृष्ठ–25 पर अधिक ली गई ब्याज राशि		(–) 767
(xvi)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक चौपाल से चैक संख्या 4579848, दिनांक 06.12.08 द्वारा भुगतान किया गया जिन्हें रोकड़ वही में डेबिट नहीं किया गया		(–) 2000
(xvii)	रोकड़ वही पृष्ठ–38 पर जमा फटे पुराने नोटों को बैंक में जमा नहीं किया		(–) 60
(xviii)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक चौपाल से चैक संख्या 7639838, दिनांक 3.11.10 द्वारा किया गया भुगतान रोकड़ वही में डेबिट नहीं किया गया		(–)1470
(xix)	रोकड़ वही पृष्ठ–78 पर अधिक लिया गया योग		(–) 291
(xxx)	रोकड़ वही पृष्ठ–4 व 96 पर दो बार जमा किया गया ब्याज		(–) 12016
(xxxi)	माह 12/2009 एवं 5/2010 में किया गया सीधा व्यय परन्तु रोकड़ वही में दर्ज नहीं		(–) 19500
(xxxii)	माह 6/2010 में किया गया सीधा व्यय परन्तु रोकड़ वही में दर्ज नहीं		(–) 18625
(xxxiii)	माह 7/2010 व 8/2010 में किया गया सीधा व्यय रोकड़ वही में दर्ज नहीं		(–) 18000
(xxxiv)	रोकड़ वही पृष्ठ 13 पर लिया गया अधिक प्रारम्भिक शेष		(–)30738
		कुल	**50157.75**

(घ) रोकड़ वही में ₹140/– का कम जमा करनाः–

मन्दिर समिति को दिनांक 24.06.2008 को दान पात्र से ₹124516/– प्राप्त हुई थी परन्तु रोकड़ वही के पृष्ठ 38 पर ₹124376/– ही दर्ज की गई। इस प्रकार ₹140/– कम जमा की गई जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

5 निवेशः—

(क) मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को ₹1204631/— सावधि जमा योजना में निवेशित थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

सावधि जमा सं0	बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	निवेश की अवधि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि
052797	यूको बैंक चौपाल	27.1.2006	1000000	6 मास	5.5%	27.7.06	1027500
		29.7.2006	1027838	1 वर्ष	6.75%	29.7.07	1098993
		27.8.2007	1102049	1 वर्ष	9%	27.8.08	1204631

नोटः— उपरोक्त सावधि जमा से सम्बन्धित ब्याज की ₹204631/— की प्राप्ति रोकड़ वही में माह 10/2008 दर्शाई गई थी तथा न्यास द्वारा सावधि में जमा की राशि व ब्याज की राशि वास्तव में बैक मे ंनहीं निकाली गई थी। अतः न्यास द्वारा वित्तीय स्थिति में सावधि जमा में निवेशित ₹1204631/— दर्शाई गई है।

(ख) सावधि जमा में दिनांक 29.7.2006 को पुनः निवेशित ₹1027838/— को उसकी परिपक्वता तिथि को बैंक से नहीं भुनाया गया था अपितु लगभग एक माह पश्चात दिनांक 27.8.2007 को भुनाया/पुनः निवेश किया गया था। अतः समय पर सावधि में जमा/निवेशित राशि को बैंक से न भुनाने/पुनः निवेश न करने के कारण ब्याज की हानि हुई है जिसकी न्यास स्त्तर पर गणना करके इसकी उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त परिपक्वता तिथि दिनांक 27.8.2008 को देय सावधि जमा की ₹1204631/— को वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक भी बैंक से नहीं भुनाया गया था न ही पुनः निवेश किया गया था। अतः उपरोक्त राशि को बैंक से न भुनाने/पुनः निवेश न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा पुनः निवेश न करने के कारण हुई ब्याज की हानि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 उचित वित्तीय प्रबन्धन न किये जाने के कारण ब्याज की हानिः–

वित्तीय स्थिति की जाँच करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा अत्याधिक राशियाँ बिना उपयोग के ही बचत खाते में रखी गई थी जबकि उचित वित्तीय प्रबन्ध को ध्यान में रखते हुये आवश्यकता के अनुसार ही राशियों को बचत खातों में रख कर शेष/अधिक्य राशियों को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित था जिससे मन्दिर को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि इस सन्दर्भ में आन्तरिक जाँच करके मन्दिर के बचत खातों में पड़ी अनुपयुक्त (राशियों को जिनकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है) को सावधि लेखों में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 मन्दिर में कार्यरत्त कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन व भत्तों पर व्ययः–

मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मन्दिर में 2 पुजारी, दो सेवादार व एक सफाई कर्मचारी कार्यरत्त है। इसके अतिरिक्त दो होमगार्ड जून से नवम्बर तक प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर रखे जाते हैं। मन्दिर मे कार्यरत्त कर्मचारियों के वेतन व भत्तों के रूप में मन्दिर की कुल आय पर पड़ने वाले अनुपातिक दायित्व का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	आय (₹)	मन्दिर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय (₹)	प्रतिशतता
2005	513728	31100	6.05 प्रतिशत
2006	537802	32000	5.95 प्रतिशत
2007	588781	39400	6.69 प्रतिशत
2008	473893	60000	12.66 प्रतिशत
2009	581033	45440	7.82 प्रतिशत
2010	857290	94043	10.96 प्रतिशत
2011	982736	123760	12.59 प्रतिशत
2012	1191630	126400	10.60 प्रतिशत

8 सोना व चांदीः–

मन्दिर न्यास द्वारा पत्र संख्या चेयरमैन–सीपीएल/5637 दिनांक 5.10.2013 द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार सोने एवं चांदी का विवरण निम्न प्रकार से पाया गयाः–

(क) सोनाः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	सोने की प्राप्ति	अन्तशेष	सोने की प्राप्ति का विवरण
2005	6½ तोला	1 ग्राम	6½ तोला+1 ग्राम	1 छत्र सोना
2006	6½ तोला+1 ग्राम	1 ग्राम	6½ तोला+2 ग्राम	1 पत्ती सोना
2007 से 2012	6½ तोला+2 ग्राम	–	6½ तोला+2 ग्राम	–

नोटः– दिनांक 12.7.2003 को एक सर्फी सोने की प्राप्त की गई दर्शाई गई थी जो दिनांक 1.1.2005 को दर्शाई गई सोने की कुल मात्रा 6½ तोला में समिलित की गई दर्शाई गई थी।

(ख) चांदीः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	चांदी की प्राप्ति	अन्तशेष	चांदी की प्राप्ति का विवरण
2005	2 किलो 850 ग्राम	27 ग्राम+10 ग्राम	2 किलो 887 ग्राम	8 छोटे छत्र + 1 बड़ा छात्र 5 छोटे छत्र
2006	2 किलो 887 ग्राम	42 ग्राम	2 किलो 929 ग्राम	
2007 से 2012	2 किलो 929 ग्राम	–	2 किलो 929 ग्राम	

नोटः– दिनांक 3.6.2001 को प्राप्त 6 छत्र व दिनांक 14.06.2003 को प्राप्त 27 छोटे छत्र दिनांक 01.01.2005 को दर्शाये गये प्रारम्भिक शेष 2 किलो 850 ग्राम में सम्मिलित किए गए दर्शाए गए थे।

(ग) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2007 से वर्ष 2012 के दौरान चूड़धार मन्दिर में कोई भी सोने व चांदी के रूप में चढ़ावा नहीं दर्शाया गया था जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में भी समय–2 पर सोने तथा चांदी के रूप चढ़ावा प्राप्त हुआ है। अतः उपरोक्त अवधि के दौरान सोना व चांदी का चढ़ावा न होने बारे विभागीय स्तर पर जाँच की जाए तथा छानबीन करके वस्तु स्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास भण्डार मे ंपड़ी सोने व चांदी की मात्रा का प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था। अतः प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भण्डार मे ंपड़ी सोने व चांदी की मात्रा का प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान प्राप्त चांदी के सिक्के/नगद खर्चों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष नगद रूपये	प्राप्त मात्रा नगद रूपये	अन्तशेष नगद रूपये
2005	62	4	66
1.1.2006 से 31.7.2006	66	2	68
1.8.2006 से 27.7.07	68	45	113
28.7.2007 से 31.12.2012	113	–	113

नोटः– दिनांक 03.06.2001 को प्राप्त एक सिक्के व दिनांक 12.7.2003 को प्राप्त चार सिक्के का दिनांक 01.01.2005 को दर्शाये गये प्रारम्भिक शेष में सम्मिलित किया गया दर्शाया गया है।

(ङ) दिनांक 28.7.2007 से 31.12.2012 के दौरान कोई भी चांदी के सिक्के/नगद रूपये चढ़ावे के रूप में प्राप्त नहीं हुई दर्शाये गये थे जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस

सन्दर्भ में भी आन्तरिक जाँच करने के अतिरिक्त भण्डार में जमा चांदी के सिक्कों की मात्रा का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

9 शिरगुल प्रकाशन पुस्तक की बिक्री से प्राप्त होने वाली ₹78750/– को मन्दिर निधि में जमा न करनाः–

शिरगुल प्रकाशन पुस्तक की प्रतियां श्री श्याम सिंह धुन्ना संजौली शिमला से क्रय की गई थी। यह प्रतियां मन्दिर में श्रद्धालुओं को बेचकर इनका मूल्य मन्दिर निधि में जमा किया जाना वांन्छित था तथा इस प्रकार निम्न विवरणानुसार मन्दिर निधि से क्रय की गई प्रतियों की बिक्री से ₹78750/– की प्राप्ति होनी थी परन्तु उपरोक्त प्राप्ति योग्य राशि के विरूद्ध कोई भी राशि मन्दिर निधि में जमा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की प्राप्ति व बिक्री से सम्बन्धित रजिस्टर भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः पुस्तकों की बिक्री से सम्बन्धित राशि मन्दिर निधि में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित राशि को मन्दिर निधि में जमा करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	पुस्तक क्रय की तिथि	मात्रा	दर (₹)	भुगतान की गई राशि	बिक्री मूल्य	प्राप्ति योग्य राशि
1	20.6.2005	100 नं0	40	4000	40	4000
2	4.7.2005	150 नं0	40	6000	40	6000
3	7.12.2010	625 नं0	80	50000	110	68750
					योग	**₹78750**

10 कम्बलों के किराये के रूप में आय की ₹116067/– का रोकड़ वही में जमा करने बारे विवरण न दिया जानाः–

लेखा परीक्षा के दौरान कम्बल संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न अवधियों में मन्दिर में श्रद्धालुओं के रात्रि ठहराव हेतु कम्बलों को किराए पर दिया गया है जिससे कुल ₹116067/– की आय प्राप्त हुई परन्तु प्राप्त आय का रोकड़ वही में जमा करने बारे कोई विवरण नहीं दिया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 169

दिनांक 30.9.2013 जारी की गई थी जिसकी अनुपालना में मन्दिर समिति द्वारा पत्र संख्या 5636, दिनांक 5.10.2013 द्वारा सूचित किया गया कि इस राशि का विवरण व रोकड़ वही में जमा इत्यादि अंकेक्षण को दिखा दिया जाएगा परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उक्त राशि के जमा से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है तथा इस राशि को दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**अवधि**	**कम्बल संग्रह रजिस्टर अनुसार प्राप्त राशि**
1	26.10.2008 से 25.11.2008	10646
2	26.11.2008 से 14.12.2008	4617
3	21.4.2009 से 11.6.2009	25348
4	12.6.2009 से 26.6.2009	20206
5	27.6.2009 से 16.7.2009	21121
6	17.7.2009 से 31.8.2009	19758
7	31.8.2009 से 26.10.2009	14371
	योग	**(₹) 116067**

11 कम्बलों के किराये के रूप में प्राप्त आय की ₹4575/– को रोकड़ वही में कम जमा करनाः–

अंकेक्षण के दौरान कम्बल संग्रह रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि चूड़धार मन्दिर में श्रद्धालुओं को रात्रि ठहराव के दौरान किराए पर दिए गए कम्बलों से प्राप्त आय को रोकड़ वही में कम जमा किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 170 दिनांक 30.9.2013 जारी की गई थी जिसके उत्तर में मन्दिर ट्रस्ट द्वारा पत्र संख्या 5636, दिनांक 5.10.2013 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त कम जमा राशि की जाँच पड़ताल करके तदानुसार अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाएगी परन्तु इस प्रकरण में अंकेक्षण समाप्ति तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस

सम्बन्ध में शीध्र उचित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा कम जमा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्र0सं0	कम्बल संग्रह रजिस्टर की अवधि	कम्बल संग्रह रजिस्टर अनुसार एकत्रित राशि	रोकड़ वही में दर्ज राशि	रोकड़ वही दिनांक	रोकड़ वही पृष्ठ	कम जमा राशि
1	10.7.05 से 14.09.05	51580	50560	16.9.05	6	1020
2	15.09.05 से 19.10.05	22830	22500	22.10.05	8	330
3	03.06.10 से 09.07.10	27374	27260	14.7.10	56	114
4	09.07.10 से 16.09.10	19184	18073	17.9.10	57	1111
5	28.07.11 से 21.10.11	37523	35913	22.10.11	78	1610
6	30.11.11 से 19.6.12	28990	28600	19.6.12	88	390
					योग	₹4575

12 दान पात्र से प्राप्त ₹694420/– को विलम्ब से बैंक में जमा किया जानाः–

मन्दिर के दान पात्र से प्राप्त राशियों को तुरन्त बैंक में जमा न करके काफी समय तक हस्तगत रखने के उपरान्त बैंक में जमा किया गया है। परिणामस्वरूप अस्थाई तौर पर प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है तथा मन्दिर न्यास को इससे अनावश्यक रूप से ब्याज की हानि भी हुई है। अतः इन राशियो को विलम्ब से बैंक खातों में जमा करवाने के कारण हुई ब्याज की हानि की वसूली उचित स्त्रोत से शीध्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए भविष्य में प्राप्त राशियों को यथासमय बैंक खातो में जमा किया जाए। विलम्ब से जमा राशियों का विवरण प्रकार से हैः–

क्र0सं0	राशि प्राप्ति की तिथि	राशि	बैंक में जमा करने की तिथि	विलम्ब दिनों में
1	31.7.2006	18381	9.8.2006	9 दिन
2	17.9.2010	13600	5.10.2010	18 दिन

3	22.10.2011	12300	3.11.2011	12 दिन
4	19.6.2012	16562	5.7.2012	16 दिन
5	8.8.2012	389106	16.8.2012	8 दिन
6	8.8.2012	18740	24.9.2012	47 दिन
7	22.11.2012	215313	29.11.2012	7 दिन
8	22.11.2012	10418	11.12.2012	19 दिन
	योग	**₹694420**		

13 मन्दिर न्यास द्वारा दान पात्र के रूप में प्राप्त आय को रोकड़ वही में जमा न करके सीधा व्यय किया जानाः–

नियमानुसार मन्दिर के दान पात्र से प्राप्त आय को सर्वप्रथम रोकड़ वही में दर्ज किया जाना आवश्यक होता है तथा उसके पश्चात व्यय/भुगतान किया जाना अपेक्षित है परन्तु निम्न मामलों में मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त आय को रोकड़ वही में दर्ज न करके उसमें से कुछ राशियों का सीधे ही भुगतान कर दिया गया तथा तत्पश्चातशेष राशि को ही रोकड़ वही में दर्ज किया गया था जोकि एक अनुचित प्रक्रिया है। अतः भविष्य में प्रत्येक प्राप्त राशि को पहले रोकड़ वही में दर्ज किया जाए तथा इसके पश्चात नियमानुसार भुगतान इत्यादि किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दान पात्र खोलने की तिथि	कुल प्राप्त राशि	सीधा व्यय	रोकड़ वही में दर्ज शेष राशि	रोकड़ वही दिनांक व पृष्ठ संख्या
1	3.6.2010	221100	19500	201600	7.6.2010/56
2	10.7.2010	279770	18625	261145	14.7.2010/56
3	16.9.2010	186433	18000	168433	17.9.2010/57

14 दान पात्र से प्राप्त राशियों को सत्यापित न करनाः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में श्री चूड़धार मन्दिर में दान पात्र से प्राप्त राशियों के लिये दान पात्र रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार गल्ले से प्राप्त राशियों को मन्दिर कमेटी के कार्रवाई रजिस्टर/दान पात्र में दर्ज

करके मन्दिर अध्यक्ष सदस्यों व अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित था ताकि प्राप्त राशि में किसी प्रकार का सन्देह न रहे परन्तु अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 31.7.2006 से 2.6.2010 तथा 19.6.2012 से 8.8.2012 के दौरान निम्न तिथियों में दान पात्र से प्राप्त राशियों को न तो कमेटी के कार्रवाई रजिस्टर/दान पात्र में दर्ज किया गया था और न ही मन्दिर अध्यक्ष, सदस्यों या अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया गया था जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि गल्ला किन–किन व्यक्तियों/सदस्यों के सम्मुख खोला गया तथा कितने–2 मूल्य के नोट एवं सिक्के प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कभी–कभी गल्ले से प्राप्त राशियों को मात्र फाईल नोटिंग में दर्ज करके अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया था।

क्र0सं0	दिनांक	रोकड़ वही पृष्ठ	दान पात्र से प्राप्त राशि
1	20.6.2007	28	138026
2	20.7.2007	29	15933
3	23.9.2007	32	31018
4	24.6.2008	38	124376
5	30.6.2008	39	12080
6	1.12.2008	49	39025
7	17.6.2009	51	118851
8	2.7.2009	51	161141
9	25.7.2009	51	120609
10	5.9.2009	52	100492
11	1.1.2010	53	4017
12	19.6.2012	88	456298
13	8.8.2012	92	474896
		योग	**₹1796762**

उक्त अनियमिता के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 168 दिनांक 28.9.2013 की अनुपालना में मन्दिर कमेटी द्वारा पत्र संख्या 5636 दिनांक 5.10.2013 द्वारा अवगत करवाया गया कि मन्दिर में अलग से दान पात्र रजिस्टर नहीं रखा गया है बल्कि कमेटी के

कार्रवाई रजिस्टर में ही दिनांक 12.6.1984 से दान पात्र से प्राप्त राशियों को दर्ज करके सत्यापित किया जाता है तथा भविष्य में दान पात्र रजिस्टर का निर्माण कर दिया जाएगा परन्तु उक्त प्रदान की गई सूचना सन्तोषजनक नहीं पाई गई क्योंकि दान पात्र रजिस्टर का निर्माण न करना तथा दान पात्र के रूप में प्राप्त राशियों को दान पात्र में दर्ज न करना और अध्यक्ष मन्दिर कमेटी, सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त पाई गई अ नियमितता बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा यह मामला मन्दिर कमेटी के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि दान पात्र से प्राप्त राशियों को अलग से कमेटी के कार्रवाई रजिस्टर/दान पात्र रजिस्टर में दर्ज करके मन्दिर अध्यक्ष/सदस्यों से सत्यापित करवाया जाए तथा इसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

15 दिनांक 31.12.2012 को अग्रिम ₹530000/– का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अग्रिम रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया। अग्रिम रजिस्टर के अभाव में अंकेखण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105 दिनांक 25.9.13 जारी करके श्री चूड़धार मन्दिर कमेटी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं विभागों को प्रदान की गई अग्रिम राशियों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई थी। इस सन्दर्भ में मन्दिर अध्यक्ष द्वारा पत्र संख्या 5637, दिनांक 5.10.2013 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.12.2012 को निम्नविवरणानुसार अग्रिम ₹530000/– समायोजन हेतु शेष थी।

क्र0सं0	व्यक्ति का नाम सर्व श्री	दिनांक	अग्रिम राशि	उद्देश्य	समायोजन	दिनांक 31.12.2012 को शेष राशि
1	अरूण भण्डारी अध्यक्ष निर्माण समिति चूड़धार	27.8.12	500000	श्री चूड़धार मन्दिर की मुरम्मत एवं	शून्य	500000

				रख रखाव हेतु		
2	कपिल चौहान बलसन चौपाल	3.8.2006	20000	श्री चूड़धार मन्दिर की छत्त के लिए स्लेट लाने हेतु	शून्य	20000
3	श्री जीत सिंह, पुजारी श्री चूड़धार मन्दिर	30.7.2011	10000	श्री चूड़धार मन्दिर में छोटी–मोटी मुरम्मत के कार्य हेतु	शून्य	10000
					योग	**₹530000**

अतः उक्त वर्णित अग्रिम ₹530000/– के शीध्र समायेाजन हेतु प्रयास किए जाएं तथा इन अग्रिम राशियों के अतिरिक्त भविष्य में समस्त अग्रिम राशियों को अग्रिम रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

16 अनियमित रूप से प्रदान किए गए ऋण की ₹70000/– का दिनांक 31.12.2012 को वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री चूड़धार मन्दिर समिति द्वारा निम्न विभागों को ₹70000/–ऋण के रूप में प्रदान की गई थी जबकि मन्दिर की निधि से इस प्रकार के ऋण प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त अंकेखण के दौरान यह भी पाया गया कि 31.12.2012 तक इन ऋण की राशियों को वसूल नहीं किया गया। अतः अनियमित निधि से अनियमित तरीके से ऋण के रूप में राशियां प्रदान करना तथा इन राशियों की वसूली न करना अनियमित ही नहीं बल्कि गम्भीर आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 176, दिनांक 3.10.13 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर समिति को सूचित किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया था। अतः

यह मामला मन्दिर समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि ऋण की राशियों की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित विभागों से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**विभाग का नाम**	**दिनांक**	**ऋण की राशि**	**उद्देश्य**	**वसूली**	**दिनांक 31.21. 2012 को वसूली हेतु शेष**
1	(एस0डी0एम0) चौपाल	16.6.09	100000	चौपाल उत्सव हेतु ऋण	80000	20000
2	इलेक्शन कानूनगो एस0डी0एम0 कार्यालय चौपाल (यह राशि चुनाव के दौरान मै0 न्यू लाईट एण्ड साऊंड, शिमला को प्रदान की गई)	14.5.09	50000	चुनाव के दौरान ऋण	शून्य	50000
					कुल	**₹70000**

17 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना चूड़धार मन्दिर का निर्माण कार्य करवाने हेतु ₹1500000/– का इकरार नामा करनाः–

चूड़धार मन्दिर चौपाल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य मन्दिर निर्माण कमेटी द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2012 को श्री वेद प्रकाश सुपुत्र श्री दुंगला राम गांव जेहरा डाकघर सोभनाचन, उप–तहसील बाली चौकी जिला मण्डी के साथ मन्दिर का निर्माण कार्य करने हेतु इकरार नामा किया गया, जिसकी शर्ते निम्न प्रकार से थीः–

(i) चूड़धार में श्री शिरगुल महाराज के गर्भ गृह के पीछे की मिति पर 7"x4" के दों मिति चित्र उकेरे जायेगें जिसमें से पहला बिजट महारज की सम्पूर्ण पूज दरबार व दूसरा श्री केदारनाथ नाथ मन्दिर का विग्रह डकेरा जायेगा।

(ii) फर्श से 40" उपर तीन फुट ऊंचाई पर परिसर के अन्य सात छोंटे–2 मन्दिर (1) 3"x3" (2) 29"x3" (3) 24"x3" (4) 35"x3" (5) 35"x3" (6) 47"x3" (7) 44"x3" बनाये जायेगें तथा प्रत्येक मन्दिर दीवार से एक फुट पर होगा उसमें खम्बे झालर व इन्टर लाक दान पात्र बनाया जायेगा।

(iii) छोटे मन्दिरों के निचले भाग में देवताओं के बाध्य यन्त्र आदि डकेरे जायेगें तथा दोनों कोणों दक्षिण पूर्व व उत्तर पूर्व में 20"x20" के छोटे चित्र एवं नीचले तीन कोणों में बाल परियों के चित्र पंखों सहित विशेष मुद्रा में बनाये जायेगें। छोटे मन्दिरों से उपर व खिड़की से नीचे वाले भाग में चारों तरफ शंकर जी के गणों व देवताओं आदि विग्रह डकेरे जायेगें उसके उपर जो भाग बचेगा उसमें तथा सीलिंग में भी चित्रकारी की जायेगी तथा परिसर के अन्दर का कोई भाग चित्रकारी के बगैर नहीं रहेगा।

(iv) मन्दिर परिसर के बाहरी भाग में चारों तरफ झालर व मुख्य दरवाजों जो पांच–2 कड़ियों के बने है के पल्ले लगाये जायेगें तथा खिड़कियों के उपर भी छज्जे, पिल्लर, झालर व सुरनी इत्यादि लगाई जायेगी।

(v) उपरोक्त सभी कार्यों के सम्पादन हेतु प्रथम पक्ष (चूड़धार मन्दिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/सदस्य मन्दिर निर्माण कमेटी) द्वारा द्वितीय पक्ष (श्री वेद प्रकाश ठाकुर) को ₹1500000/– का भुगतान कार्य की प्रगति के अनुसार समय–समय पर किया जायेगा।

(vi) भुगतान की जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा कार्य समाप्त होने तक रोक कर रखा जायेगा तथा कार्य समाप्ति पर भुगतान किया जायेगा।

(vii) प्रत्येक स्त्तर पर कार्य करने से पहले उसका चित्र अथवा विग्रह आदि का नमूना प्रथम पक्ष से स्वीकृति करवाने के उपरान्त ही अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(viii) कार्य प्रारम्भ करने हेतु तथा हर प्रकार के उपकरण आदि खरीदने के लिए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को ₹तीन लाख रूपये बतौर अग्रिम राशि भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त कार्य के आंबटन में निमनलिखित अनियमिततायें पाई गई।

(क) मन्दिर द्वारा कार्य का अनुमान तैयार नहीं किया गया था और न ही कार्य करने की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी।

(ख) कार्य आंबटन से पूर्व निविदायें आमन्त्रित नहीं की गई थी जिससे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

(ग) मन्दिर समिति द्वारा उपरोक्त कार्य को करवाने बारे कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और न ही मन्दिर समिति द्वारा उक्त कार्य श्री वेद प्रकाश से करवाने बारे कोई निर्णय लिया था।

अतः उपरोक्त प्रकरण में बिना औपचारिकतओं को पूर्ण किए ₹1500000/– का इकरार नामा किया जाना एक गम्भीर मामला है क्योंकि उक्त वर्णित अनियमितताओं के दृष्टिगत इस प्रकरण में संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में अब कार्य का अनुदान तैयार करके इसे सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया जाए तथा कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाये तथा भुगतान से पूर्व कार्य का सक्षम तकनीकी अधिकारी से मूल्यांकन भी करवाया जाये। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

18 ₹724265/– के भुगतान से सम्बन्धित वाऊचर प्रस्तुत न करनाः–

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न भुगतानों के सम्बन्धित वाऊचर अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप यह वाऊचर अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किए गए।

क्र0सं0	भुगतान की तिथि	चैक संख्या	जिसे भुगतान किया गया	राशि
	17.11.2008	4579844	जीत सिंह, पुजारी	50000
2	2.6.09	7639809	नाजर एस0डी0एम0 ऑफिस चौपाल	16000
3	14.6.09	7639810	श्री विनोद कुमार	25000
4	2.7.09	7639812	श्री विनोद कुमार	16000
5	22.7.2009	7639814	श्री राम सिंह झारटा	60000
6	30.7.2009	7639817	श्री विनोद कुमार	70000
7	9.9.2009	7639822	श्री विनोद कुमार	70000
8	1.10.2009	7639823	श्री विनोद कुमार	40000
9	1.10.2009	7639824	श्री राम सिंह	79547
10	30.10.2009	7639831	श्री विनोद कुमार	90000

11	5.11.2009	233615	श्री किरपा राम	33428
12	20.11.2009	844231	श्री विनोद कुमार	50000
13	7.1.2010	844232	श्री विनोद कुमार	24940
14	1.2.2010	844233	श्रीमती लच्छमी देवी	10000
15	5.2.2010	844234	नाजर एस0डी0एम0 ऑफिस चौपाल	25200
16	16.2.2010	844236	श्री विनोद कुमार	18500
17	3.11.2011	7639838	श्री रणजीत सिंह	1470
18	25.11.2008	4579847	श्री विनोद कुमार	24180
19	10.12.2008	4579849	श्री विनोद कुमार	20000
			योग	**₹724265**

इस प्रकार अंकेक्षण में वाऊचर प्रस्तुत न करना एक गम्भीर मामला है। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित छानबीन एवं उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि किये गये व्यय से सम्बन्धित वाऊचर आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किये जाये।

19 निर्धारित औपरिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹172214/– की सामग्री का क्रय करनाः–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि श्री विनोद कुमार के माध्यम से श्री चूड़धार मन्दिर निधि से निम्न विवरणानुसार ₹172214/– की सामग्री क्रय की गई थी तथा अन्य कार्य करवाए गए परन्तु श्री विनोद कुमार को मन्दिर के कार्यों हेतु सामग्री क्रय करने एवं अन्य कार्य करने हेतु प्राधिकृत करने बारे मन्दिर समिति/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/आदेश लेखा परीक्षा के दौरान नहीं दिखाये गये। इसके अतिरिकत सामग्री क्रय/व्यय करने के सम्बन्ध में मन्दिर समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी तथा सामग्री क्रय करने के लिए कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई थी। अतः इन प्रकरणों में बजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया क्योंकि भुगतान वाऊचरों के अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता कि अत्याधिक उच्च दरों पर सामग्री क्रय की गई थी उपरोक्त के अतिरिक्त सामग्री की प्राप्ति एवं खपत के सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी न ही भुगतान वाऊचरों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था, जिनके कारण स्पष्ट किए जाएं।

(i) ₹112214/– (चैक संख्या 4579843 दिनांक 11.11.08 ₹60000)

(चैक संख्या 4579845 दिनांक 17.11.08 ₹52214)

क्र0सं0	विवरण	बिल सं0	दिनांक	राशि
1	मै0 हिमाचल फिलिंग स्टेशन	47567	14.11.08	173
2	मै0 रमेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी नौनी सोलन (टैक्सी किराया परवाणु से सरांह)	0095	13.11.08	4500
3	मै0 दीपक हार्डवयेर एण्ड इलैक्ट्रीकल स्टोर चौपाल (हार्डवेयर फिटिंग्स)	70	14.11.08	510
4	मै0 गणेश ट्रेडर्स परवाणु (हार्डवेयर फिटिंगस)	941	13.11.08	5647
5	मै0 अमृत इलैक्ट्रीकलस सैक्टर–1, परवाणु (छः गीजर एवं अससेरीज)	871	13.11.08	59012
6	मै0 नोबल इंजिनियर, जिरकपुर पंजाब (होडा जेनरेटर+भाड़ा जिरकपुर से परवाणु)	082	13.11.08	37572
7	टोल टैक्स परवाणु	–	–	300
8	भाड़ा सरांह से चूड़धार	–	–	2100
9	मजदूरी (बिल नहीं था)	–	–	2400
			योग	**₹112214**

(ii) ₹60000/– (चैक संख्या 7639813, दिनांक 17.7.09)

क्र0सं0	विवरण	बिल सं0	दिनांक	राशि
1	मै0 एस0एन0 इन्टरप्राईजिज, सीता राम बाजार दिल्ली (40 फुट स्टेयर एल्यूमिनियम)	1540	17.8.09	15500
2	मै0 एस0के0 कंस्ट्रक्शन वर्क, मण्डी (भाड़ा सुन्दर नगर से सरांह)	241	13.9.09	11500
3	–यथोपरि– (6.50 इन्च स्टोन)	239	13.9.09	22000
4	–यथोपरि– (30.25 इन्च स्टोन)	240	13.9.09	11000
			योग	**₹60000**

अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना सामग्री क्रय करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण में छानबीन उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या सामग्री की खरीद न्यूनतम बाजार दरो ंपर ही की गई थी अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त सामग्री के क्रय एवं खपत के सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टर तैयार करने तथा भुगतान वाऊचरों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

20 बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए हिमाचल प्रदेश खादी बोर्ड शिमला से ₹100268/— का रजाईयाँ व तलाईयाँ खरीदने बारेः—

मन्दिर समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश खादी एवं आई0बी0 बोर्ड शिमला से श्री चूड़धार मन्दिर के लिए निम्नविवरणानुसार रजाईयाँ व तलाईयाँ इत्यादि का क्रय करने हेतु चैक संख्या 7639805, दिनांक 5.3.2009 द्वारा ड्राफ्ट बनाकर ₹100268/— का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि इन वस्तुओं को क्रय करने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी तथा न ही बिल/वाऊचरों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित ही नहीं आपत्तिजनक भी है।

क्र0सं0	**क्रय किए गए सामान का विवरण**	**बिल सं0**	**दिनांक**	**भुगतान की गई राशि**
1	मै0 हिमाचल प्रदेश खादी एवं आई0बी0 बोर्ड शिमला (22 नं0 कॉपर रजाईयों के क्रय तथा भाड़ा आदि पर व्यय)	0004526	10.12.08	39668
2	—यथोपरि— (100 नं0 रेक्रान तलाईयां तथा 100 नं0 रेक्रान तलाई कवर क्रय करने पर व्यय)	0004525	10.12.08	60600
			योग	**₹100268**

अतः उक्त पाई गई अनियमितताओं बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त व्यय को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए एवं बिल/वाऊचरों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को भी दिखाई जाए।

21 विभिन्न व्यक्तियों को अनियमित रूप से किए गए ₹60300/– भुगतान के बारे में:–

श्री चूड़धार मन्दिर की रोकड़ वही के पृष्ठ 70 पर विभिन्न व्यक्तियों को ₹60300/– का भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस सन्दर्भ में अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि इन भुगतानों का न तो कोई बिल/वाऊचर तैयार किया गया था और न ही किए गए कार्य का निर्धारण करके उसे सत्यापित किया गया था। इन प्रकरणों में मन्दिर न्यास द्वारा केवल किए गए भुगतान की रसीदें इत्यादि प्राप्त की गई थी जोकि अनियमित ही नहीं आपत्तिजनक भी है।

क्र0सं0	**व्यक्ति का नाम सर्वश्री**	**भुगतान माह**	**भुगतान राशि**
1	जीत सिंह, पुजारी	8/10, 9/10, 10/10	(3000X3) 9000
2	भगत राम, पुजारी	–यथोपरि–	(3000X3) 9000
3	कल्याण सिंह, सेवादार	–यथोपरि–	(3000X3) 9000
4	मेहर सिंह, सेवादार	7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10	(3000X5)15000
5	कल्याण सिंह, सेवादार (सरांय के पीछे मलबा हटाने की मजदूरी)	10/12	1000
6	जीत सिंह, पुजारी (मोबाईल बिल का भुगतान)	10/12	300
7	कमलानन्द स्वामी जी (आश्रम के लिए बालन)	10/12	7000
8	कांसी राम (मन्दिर निर्माण हेतु)	10/12	10000
		योग	**₹60300**

अतः उक्त पाई गई त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मूल औपचारिकताए अब पूर्ण करके किए गए भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

22 एस0डी0एम0 कार्यालय में कार्यरत्त नाजर को किए गए ₹60000/– के भुगतान का समायोजन न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री चूड़धार मन्दिर में कार्य कर रहे विभिन्न मिस्त्रियों को निम्नविवरणानुसार अग्रिम के रूप में भुगतान करने के लिए एस0डी0एम0 कार्यालय चौपाल में कार्यरत्त नाजिर को मन्दिर निधि से चैक संख्या 7639816, दिनांक 30.7.2009 द्वारा ₹60000/– का भुगतान किया गया जो कि रोकड़ वही के पृष्ठ 51 पर दर्ज है परन्तु इन अग्रिम राशियों के समायोजन से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाऊचर/मस्ट्रोल आदि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप अग्रिम राशियो के समायोजन की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी।

क्र0सं0	**नाम सर्व श्री**	**पिता का नाम सर्व श्री**	**दिनांक**	**अग्रिम भुगतान राशि**
1	वारू राम	शिविया राम	8.11.08	10000
2	किरपा राम	गयारू राम	8.11.08	10000
3	रामरत्न	झादु राम	8.11.08	20000
4	राधे श्याम	सोहन	8.11.08	15000
5	हेम राज	लालु राम	27.11.09	5000
			योग	**₹60000**

अतः उक्त विवरणानुसार किए गए अग्रिम राशियों के भुगतान का समायोजन शीध्र सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इनकी वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से करके राशि मन्दिर निधि में जमा की जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाएं।

23 विज्ञापनों पर ₹57000/– का अनुचित व्ययः–

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण दल द्वारा जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165, दिनांक 25.9.2013 की अनुपालना में अध्यक्ष मन्दिर समिति द्वारा पत्र संख्या 5637, दिनांक 5.10.2013 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार तथा अंकेक्षण के दौरान अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि मन्दिर निधि से निम्न विवरणानुसार ₹57000/– का भुगतान विभिन्न संघो, परिषदों, मेलों एवं स्पोर्टस क्लबों की स्मारिकाओं में विज्ञापन हेतु तथा छात्र कल्याण सभाओं को किया गया दर्शाया गया था जोकि मन्दिर निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इन भुगतानों को मन्दिर कमेटी के प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था।

क्र0सं0	रोकड़ वही पृ0	व्यक्ति/संस्था का नाम व पता	चैक सं0/ दिनांक	बैंक का नाम	राशि	उद्देश्य
1	3	श्री ज्ञान जिमटा, प्रधान ग्राम पंचायत संघ, चौपाल	1412641/ 1.4.05	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक चौपाल	3000	संस्था की स्मारिका के प्रकाशन हेतु
2	3	श्री हरि शर्मा, प्रवक्ता संघ, चौपाल	1412643/ 7.4.05	–यथापरि–	2500	–यथापरि–
3	3	उपायुक्त शिमला	1412647/ 18.5.05	–यथापरि–	10000	शिमला ग्रीष्मोत्सव हेतु
4	5	अध्यक्ष लदार्चा मेला समिति, काज़ा	1412653/ 11.8.05	–यथापरि–	2560	मेला स्मारिका के प्रकाशन हेतु
5	6	सम्पादक, पाठन समाचार शिमला	1412655/ 1.9.05	–यथापरि–	2500	विज्ञापन/ प्रकाशन हेतु
6	7	बॉलीबाल क्लब संघ, रोहड़ू	1412661/ 5.10.05	–यथापरि–	5000	स्मारिका प्रकाशन हेतु

7	13	छात्र कल्याण संघ, चौपाल	1412673 / 20.1.06	–यथापरि–	1500	–यथापरि–
8	72	छात्र कल्याण संघ, चौपाल	7639844 / 7.2.2011	–यथापरि–	5000	–यथापरि–
9	85	उपायुक्त शिमला	013192 / 19.5.2012	भारतीय स्टेट बैंक, चौपाल	25000	शिमला ग्रीष्मोत्सव हेतु
				योग	**₹57000**	

अतः मन्दिर कमेटी की बिना स्वीकृति के भुगतानों का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मन्दिर की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन भुगतानों पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

24 बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किए तथा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए डाक्यूमेन्टरी / वीडियो बनाने हेतु भुगतान करने बारेः–

श्री चूड़धार मन्दिर समिति द्वारा चैक संख्या 7639503 /– दिनांक 12.2.09 तथा चैक संख्या 7639809 /– दिनांक 7.5.09 द्वारा क्रमशः ₹25000 व ₹18000 (कुल ₹43000) का भुगतान श्री वी0एस0 ठाकुर को किया गया। इस राशि का व्यय श्री वैशाली फिलमस कंगनाधार वी0सी0एस0 न्यू शिमला में उनके बिल संख्या 1077 दिनांक 12.12.09 के एवज में श्री चूड़धार मन्दिर तथा श्री बिजट महाराज मन्दिर की 45 मिनट की हिन्दी में डॉक्यूमेन्टरी वीडियों की 100 वी0सी0डी0 बनवाने हेतु किया गया। इस व्यय के सम्बन्ध में कोई भी मूल औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई थी तथा इस व्यय करने से पूर्व मन्दिर समिति से स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में निविदाऐं इत्यादि भी आमन्त्रित नहीं की गई थी जिससे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका। उक्त के अतिरिक्त बिल / वाऊचर को भी सक्षम अधिकारी / डी0डी0ओ0 द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था एवं तैयार करवाई गई 100 डी0वी0डी0 को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज भी नहीं किया गया था तथा इन डी0वी0डी0 की बिक्री आदि से प्राप्त राशि का भी कोई उल्लेख अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया जोकि अनियमित है। अतः उक्त पाई गई त्रुटियों बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त मूल औपचारिकताएं पूर्ण करने के साथ–साथ मन्दिर समिति की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त डी0वी0डी0 की बिक्री से प्राप्त राशि को ब्याज सहित मन्दिर निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

25 श्री किरपा राम (मिस्त्री) को ₹41066/– का भुगतान करने बारे:–

श्री किरपा राम (मिस्त्री) को रोकड़ वही के पृष्ठ 52 पर चैक संख्या 7639821, दिनांक 9.9.2009 द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹41066/– का भुगतान विभिन्न मिस्त्रियों को चूड़धार मन्दिर में कार्य करने हेतु किया गया।

क्र0सं0	नाम सर्व श्री	पिता का नाम सर्व श्री	भुगतान माह	भुगतान राशि
1	वारू राम	शिविया	6/09	4216
2	किरपा	गयारू राम	6/09	4216
3	वारू राम	शिविया	7/09	4216
4	किरपा	गयारू राम	7/09	4216
5	बलवीर	रामभज	7/09	4216
6	नरेन्द्र	शिविया	7/09	4216
7	वारू राम	शिविया	8/09	3944
8	किरपा	गयारू राम	8/09	3944
9	बलवीर	रामभज	8/09	3944
10	नरेन्द्र	शिविया	8/09	3944
			योग	**₹41072**

उक्त भुगतान के सन्दर्भ में अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि मिस्त्रियों द्वारा किए गए कार्य का न तो निर्धारण किया गया और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा इसे सत्यापित किया गया था। इसके अतिरिक्त बिल/वाऊचर को भी डी0डी0ओ0 द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जोकि अनियमित है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 बिना रसीदें प्राप्त किए तथा बिना विवरण दिए ₹40092/– का भुगतान करनाः–

श्री चूड़धार मन्दिर में कार्य कर रहे मिस्त्रियों को निम्न विवरणानुसार ₹40092/– की मजदूरी का भुगतान किया गया परन्तु उनसे भुगतान की गई राशि की कोई भी रसीद इत्यादि प्राप्त नहीं की गई। इसके अतिरिक्त किए गए कार्य का न तो विवरण दिया गया था और न ही बिल/मस्ट्रोल को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। इस प्रकार भुगतान की गई राशि की रसीदें प्राप्त न करना तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी की सत्यापना के बिना भुगतान करना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्र0सं0	नाम सर्व श्री	पिता का नाम सर्व श्री	मजदूरी माह	किया गया भुगतान (₹)
1	दलीप	चानन सिंह	4/09	2584
2	राम रत्न	–	10/08	4080
3	वारू राम	शिविया	9/09	4110
4	किरपा राम	गयारू राम	9/09	4110
5	गुमान सिंह	गयारू राम	9/09	4110
6	नरेन्द्र	शिविया	9/09	4110
7	वारू राम	शिविया	10/09	4247
8	किरपा राम	गयारू राम	10/09	4247
9	गुमान सिंह	गयारू राम	10/09	4247
10	नरेन्द्र	शिविया	10/09	4247
			कुल	**40092**

अतः मिस्त्रियों से अपेक्षित रसीदें प्राप्त की जाएं एवं भुगतान को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर नियमित करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से लेखा–परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

27 **पत्थरों की ढुलाई एवं चटठे इत्यादि हेतु ₹33000/– का भुगतान करने बारेः–**

मन्दिर न्यास द्वारा श्री काशी राम को 22 चटठे पत्थर के लिए ₹1500/– प्रति चटठे की दर से ढुलाई इत्यादि सहित वाऊचर संख्या शून्य, दिनांक 6.12.2008 के अन्तर्गत ₹33000/– का भुगतान चैक संख्या 4579848 दिनांक 6.12.2008 द्वारा किया गया। उपरोक्त कार्य को करने हेतु कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई और न ही सामग्री प्राप्ति की स्टॉक प्रविष्टि की गई थी। इसके अतिरिक्त कार्य को करने हेतु मन्दिर समिति का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था। भुगतान वाऊचर को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित भी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अतिरिक्त पत्थरों की प्राप्ति व उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये। अतः उपरोक्त मामले में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना कार्य करवाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा मामले की उचित छानबीन करके वस्तुस्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

28 **एस0डी0एम0 कार्यालय के ग्यारह हीटरों का क्रय करने के लिए मन्दिर निधि पर ₹11098/– का अनुचित प्रभारः–**

मन्दिर समिति की रोकड़ वही के पृष्ठ 49 पर चैक संख्या 4579850 दिनांक 10.12.2008 द्वारा नाजिर को निम्नविवरणानुसार ₹11098/– का भुगतान एस0डी0एम0 कार्यालय चौपाल के लिए ग्यारह कैरा हीटर्स क्रय करने के लिए तथा सर्विस चार्जिज इत्यादि के व्यय किया गया दर्शाया गया है।

क्र0सं0	**क्रय किए गए सामान का विवरण**	**बिल सं0**	**दिनांक**	**राशि (₹)**
1	मै0 टी0एल0जी0 स्पैक्टरा विज़न प्रा0 लिमिटेड, ब्लाक नं0 22, एस0डी0ए0 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–9 (ग्यारह कैरो हीटर्स का क्रय)	2226	16.12.08	8348
2	–यथोपरि– (ग्यारह कैरो हीटर्स के सर्विस चार्जिज)	2227	16.12.08	2750
			कुल	**11098**

इस प्रकार एस0डी0एम0 कार्यालय हेतु मन्दिर निधि से क्रय किए गए हीटर्स पर व्यय मन्दिर निधि पर उचित प्रभार नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त सामान को क्रय करने हेतु मन्दिर समिति की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी तथा न ही इस क्रय हेतु निविदाऐं इत्यादि आमन्त्रित की गई थी। इसके अतिरिक्त क्रय किए गए सामान को न तो स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया था और न ही भुगतान बिल/वाऊचर को सक्षम अधिकारी/डी0डी0ओ0 द्वारा सत्यापित किया गया था। अतः उपरोक्त मूल औपचारिकताऐं पूर्ण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित प्रक्रिया अब पूर्ण की जाए। इसके अतिरिक्त मन्दिर निधि से किए गए उक्त व्यय के अनुचित प्रभार की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली भी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

29 पब्लिकेशन मैटीरियल एवं स्टेशनरी इत्यादि पर ₹10000/– का अनियमित रूप से भुगतान करनाः–

वाऊचर संख्या शून्य दिनांक 13.02.2004 के अन्तर्गत ₹10000/– का भुगतान श्री ओ0पी0 मैहता वरिष्ठ लिपिक उप–मण्डलाधिकारी कार्यालय चौपाल को चैक संख्या 7639804 दिनांक 13.2.2009 द्वारा किया गया था। उपरोक्त भुगतान के विरूद्ध नीतिका प्रिंटिंग प्रैस के कैश मेमों संख्या शून्य दिनांक 25.3.09 के अन्तर्गत पब्लिकेशन मैटीरियल व स्टेशनरी मदो की खरीद दर्शाकर ₹10000/– का व्यय किया गया है परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा पब्लिकेशन मैटीरियल एवंक्रय की गई स्टेशनरी सामग्री का विवरण नहीं दिया गया था और न ही स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त कय हेतु कोई भी औपचारिकताए पूर्ण नहीं की गई थी क्योंकि इनकी सम्बन्धित फर्म को कोई सप्लाई आदेश भी नहीं दिया गया था। तथा बिल भी मन्दिर अध्यक्ष द्वारा भुगतान हेतु पारित भी नहीं किया गया था। अतः बिना औपचारिकताओं के किये गये भुगतान की उचित छानबीन करके वस्तुस्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये अन्यथा उक्त ₹10000/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 बिजली के बिलों पर अधिभार के रूप में ₹254/– का भुगतान करना तथा बिजली के बिलो के भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर तैयार न करनाः–

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाच करने पर पाया गया कि चूड़धार मन्दिर के बिजली के बिलों को निर्धारित तिथि के पश्चात भुगतान करने के कारण निम्नविवरणानुसार ₹254/– का अधिभार/दण्डस्वरूप का भुगतान किया गया।

मीटर सं0	भुगतान की देय तिथि	बिल की राशि (₹)	अधिभार की राशि	कुल राशि	भुगतान का विवरण
सीएमडी 1	30.3.2012	1134	28	1162	चैक संख्या
सीएमडी 2	30.3.2012	9968	188	10156	013191
सीएमडी 3	30.3.2012	422	8	430	दिनांक 31.3. 2012 ₹11478
सीएमडी 1	25.5.2012	519	8	527	चैक संख्या
सीएमडी 2	25.5.2012	877	16	893	013193
सीएमडी 3	25.5.2012	325	6	331	दिनांक 5.6. 2012 ₹1751
			योग	**₹254**	

अतः बिजली के बिलो ंको समय पर भुगतान न करने के कारण भुगतान की गई अधिभार की राशि की उचित माध्यम से वसूली करके मन्दिर निधि में जमा की जाए तथा भविष्य में बिजली बिलों का समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि बिजली के बिलों के भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर का निर्माण भी नहीं किया गया। अतः बिजली बिलों के भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर का निर्माण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में बिजली बिलों के भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर का निर्माण किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

31 अन्य विविध अनियमितताएंः—

(क) किराए पर आंबटित दुकानों के रजिस्टर का रख रखाव न करनाः—

मन्दिर समिति द्वारा मन्दिर परिसर में विभिन्न दुकानों को किराए पर आंबटित किया गया था परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान आंबटियों से कितनी किराए की वसूली हुई तथा दिनांक 31.12.2012 को कितनी राशि वसूली हेतु शेष थी का कोई भी अभिलेख/रजिस्टर नहीं रखा गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165, दिनांक 25.9.13 के सन्दर्भ में मन्दिर अध्यक्ष द्वारा पत्र संख्या 5637, दिनांक 5.10.13 द्वारा अवगत करवाया गया कि मन्दिर समिति द्वारा दुकानों के किराया रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है जिसे भविष्य में तैयार कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि दिनांक 31.12.2012 को कोई भी किराया वसूली शेष नहीं थी। अतः भविष्य में व्यक्तिवार किराया रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दर्ज की जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) मन्दिर समिति के वार्षिक बजट को तैयार न करनाः—

अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165, दिनांक 25.9.13 जारी करके मन्दिर समिति के सक्षम अधिकारी द्वारा पारित वार्षिक बजट से सम्बन्धित सूचना मांगी गई थी। जिसकी अनुपालना में अध्यक्ष मन्दिर समिति द्वारा पत्र संख्या 5637, दिनांक 5.10.2013 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि मन्दिर समिति चूड़धार द्वारा आय—व्यय का वार्षिक बजट तैयार नहीं किया जा रहा है बल्कि समय—2 पर आय—व्यय के आंकड़ों की मन्दिर समिति की बैठकों में चर्चा की जाती है तथा तदानुसार स्वीकृति प्राप्त की जाती है। अतः सुझाव दिया गया जाता है कि मन्दिर समिति के वार्षिक आय—व्यय के आंकड़ों का वर्ष के प्रारम्भ में बजट तैयार किया जाए एवं इसे सक्षम अधिकारी से स्वीकृत भी करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) वाऊचर फाईलों का रख—रखाव उचित प्रकार से न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया श्री चूड़धार मन्दिर की अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान वाऊचर फाइलों का रख—रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था। वाऊचरों को क्रमवार/दिनांकवार नहीं रखा गया था तथा बिलो ंपर वाऊचर संख्या भी अंकित नहीं की गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाऊचर फाईलों को आधा—अधूरा तैयार किया गया है तथा आय—व्यय के आंकड़ों का रोकड़ वही से उचित मिलान भी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलेख जैसे स्टॉक रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर,

चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर तथा दान पात्र रजिस्टर इत्यादि का रख रखाव भी नहीं किया गया था अथवा अधूरा किया गया था। इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा लगभग समस्त अभिलेख के रख रखाव उचित प्रकार से किया जा रहा है। अतः चूड़धार मन्दिर के अभिलेख को सही प्रकार से रख–रखाव हेतु उचित प्रयास किए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

32 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

33 **निष्कर्षः–** लेखाओं में सुधार एवं अभिलेख के रख–रखाव की बहुत आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकनसंख्याःफिन(एल0ए0)(एच) (2)सी (15)(14) 236/04 खण्ड–1–1603–07 दिनांक, 14.03.2014 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री चूड़धार मन्दिर चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 उप मण्डल अधिकारी (एस0डी0एम0) चौपाल एवं आयुक्त (मन्दिर, तहसील चौपाल जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

3 निदेशक, (भाषा कला एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला–9

4 अवर सचिव (भाषा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2

5 श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "क" पैरा 1 (ग) मे ंवर्णित

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2000 से 31.12.2004

1	पैरा–2	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा–3 (1, 2)	समाप्त	(प्राप्ति व व्यय से सम्बन्धित रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ कर दी गई है)
3	पैरा–3 (3) (क)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी है)
4	पैरा–3 (3) (ख)	समाप्त	(रजिस्टर का निर्माण कर दिया है)
5	पैरा–3 (3) (ग)	समाप्त	
6	पैरा–3 (3) (घ)	समाप्त	
7	पैरा–4	अनिर्णीत	
8	पैरा–5	अनिर्णीत	
9	पैरा–6	समाप्त	(नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
10	पैरा–7	अनिर्णीत	
11	पैरा–8	अनिर्णीत	
12	पैरा–9	अनिर्णीत	
13	पैरा–10 (क)	समाप्त	
14	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा–11	अनिर्णीत	
16	पैरा–12	अनिर्णीत	
17	पैरा–13	अनिर्णीत	
18	पैरा–14	अनिर्णीत	
19	पैरा–15	अनिर्णीत	
20	पैरा–16	अनिर्णीत	
21	पैरा–17	अनिर्णीत	

22	पैरा—18	अनिर्णीत
23	पैरा—19	अनिर्णीत
24	पैरा—20	अनिर्णीत
25	पैरा—21	अनिर्णीत
26	पैरा—22	अनिर्णीत
27	पैरा—23	अनिर्णीत
28	पैरा—24	अनिर्णीत
29	पैरा—25	अनिर्णीत
30	पैरा—26	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	30
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	8
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2010 से 31.12.04 तक अनिर्णीत पैरे	22